



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092020-221941
CG-DL-E-24092020-221941

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2913]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942

No. 2913]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

का.आ. 3261(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 2019 (2019 का 30) की धारा 18 के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित स्वायत्त बोर्ड का गठन करती है, अर्थात् :-

- स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड;
- स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड;
- चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड; और
- आचार और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड

2. स्नातक चिकित्सा बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता का स्तर
(1)	(2)	(3)
धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत (अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य)		
1.	डॉ. अरुणा वी. वेनिकर प्रोफेसर और अध्यक्ष, रोग विज्ञान विभाग, जी आर दोशी और श्रीमती के.एम. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद	अध्यक्ष

2.	डॉ. विजेयेन्द्र कुमार, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के बाल चिकित्सा सर्जरी के प्रोफेसर और अध्यक्ष विभाग	सदस्य
3.	रिक्त	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
4.	डॉ. मुकुट मिनज़, निदेशक (यूरोलॉजी), फोर्टिस अस्पताल, मोहाली।	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
5.	डॉ. देबाशीष चक्रवर्ती, त्रिपुरा चिकित्सा परिषद	सदस्य

3. स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता का स्तर
(1)	(2)	(3)
धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत (अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य)		
1.	डॉ. एम. के. रमेश, प्रोफेसर और अध्यक्ष, सर्जरी विभाग, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान।	अध्यक्ष
2.	डॉ. विजय ओझा, प्रोफेसर और अध्यक्ष, यूरोलॉजी विभाग, इंदिरा गांधी सरकार सामान्य अस्पताल और स्नातकोत्तर संस्थान, पुडुचेरी	सदस्य
3.	रिक्त	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
4.	डॉ. आर.के. धीमन, निदेशक, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, (पीजीआईएमएस), लखनऊ	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
5.	डॉ. सलीम-उर-रहमान, जम्मू और कश्मीर चिकित्सा परिषद	सदस्य

4. चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता का स्तर
(1)	(2)	(3)
धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत (अध्यक्ष और दो पूर्णकालिक सदस्य)		
1.	डॉ. अचल गुलाटी, डायरेक्टर प्रिंसिपल, डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डॉ. जी. सूर्यनारायण राजू, निदेशक, असिर्विस स्पेशलिटी अस्पताल, हैदराबाद।	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
3.	डॉ. आर. नारायणबाबू निदेशक चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, तमिलनाडु	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
4.	रिक्त	सदस्य

धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
5.	डॉ. सेदेवी अंगामी, नागालैंड चिकित्सा परिषद	सदस्य

5. आचार और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड का संघटन निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

क्र.सं.	सदस्य का नाम	सदस्यता का स्तर
(1)	(2)	(3)
धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत (अध्यक्ष और एक पूर्णकालिक सदस्य)		
1.	डॉ. बी.एन.गंगाधर निदेशक, मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, (एनआईएमएचएनएस), बेंगलुरु।	अध्यक्ष
2.	डॉ. विजय लक्ष्मी नाग, प्रोफेसर और अध्यक्ष, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, एम्स, जोधपुर।	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (2) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
3.	रिक्त	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (4) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
4.	डॉ.योगेन्द्र मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसिन और विष विज्ञान विभाग, भगतपूल सिंह, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर विमेन, खानपुरकलां, सोनीपत।	सदस्य
धारा 17 की उप-धारा (5) के तहत (अंशकालिक सदस्य)		
5.	डॉ. निशांत वरवडे, मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद	सदस्य

6. पैरा 2 से 5 में संदर्भित प्रत्येक स्वायत्त बोर्डों के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य 25 सितंबर, 2020 से चार वर्ष की अवधि के लिए और अंशकालिक सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे।

[सं. वी.11013/01/2019-एमईपी (भाग.1)]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2020.

S.O. 3261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 read with section 18 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby constitutes the following Autonomous Boards, namely: -

- Under-Graduate Medical Education Board;
- Post-Graduate Medical Education Board;
- Medical Assessment and Rating Board; and
- Ethics and Medical Registration Board.

2. The composition of the Under-Graduate Medical Education Board shall be the following, namely:-

Serial number	Name of Member	Status of membership
(1)	(2)	(3)
Under sub-section (2) of section 17 (President and two whole time Members)		
1.	Dr. Aruna V. Vanikar Professor and Head, Department of Pathology, G R Doshi and Smt. K.M. Mehta Institute of Kidney disease and Research Centre, Ahmedabad	President
2.	Dr. Vijayendra Kumar, Professor and Head Department of Pediatric Surgery, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences , Patna	Member
3.	Vacant	Member
Under sub-section (2) of section 17 (part-time Member)		
4.	Dr. Mukut Minz , Director (Urology), Fortis Hospital, Mohali.	Member
Under sub section (5) of section 17 (part-time Member)		
5.	Dr. Debashish Chakraborty, Tripura Medical Council	Member.

3. The composition of the Post-Graduate Medical Education Board shall be the following, namely:-

Serial number	Name of Member	Status of membership
(1)	(2)	(3)
Under sub-section (2) of section 17 (President and two whole time Members)		
1.	Dr. M..K. Ramesh, Professor and Head, Department of Surgery, Bangalore Medical College and Research Institute.	President
2.	Dr Vijay Oza, Professor and Head, Department of Urology, Indira Gandhi Government General hospital and Post Graduate Institute , Puducherry	Member
3.	Vacant	Member
Under sub-section (2) of section 17 (part-time Member)		
4.	Dr. R.K. Dhiman, Director, Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Science, (PGIMS), Lucknow	Member
Under sub section (5) of section 17 (part-time Member)		
5.	Dr. Saleem-ur-Rehman, Jammu and Kashmir Medical Council	Member.

4. The composition of the Medical Assessment and Rating Board shall be the following, namely:-

Serial number	Name of Member	Status of membership
(1)	(2)	(3)
Under sub-section (2) of section 17 (President and one whole time Member)		
1.	Dr. Achal Gulati, Director Principal, Dr Baba Saheb Ambedkar Medical College, Delhi	President

2.	Dr. G. Suryanarayana Raju, Director, Asvins Specialty Hospital, Hyderabad.	Member
Under sub-section (2) of section 17 (part-time Member)		
3.	Dr R. Narayanababu Director Medical Education, Department of Health and Family Welfare, Tamilnadu	Member
Under sub-section (3) of section 17 (whole-time Member)		
4.	Vacant	Member
Under sub section (5) of section 17 (part-time Member)		
5.	Dr. Sedevi Angami, Nagaland Medical Council	Member.

5. The composition of the Ethics and Medical Registration Board shall be the following, namely:-

Serial number	Name of Member	Status of membership
(1)	(2)	(3)
Under sub-section (2) of section 17 (President and one whole time Member)		
1.	Dr. B.N. Gangadhar. Director, National Institute of Mental Health and Neuro Sciences,(NIMHANS), Bengluru.	President
2.	Dr Vijay Lakshmi Nag, Professor & Head, Department of Microbiology, AIIMS, Jodhpur.	Member
Under sub-section (2) of section 17 (part-time Member)		
3.	Vacant	Member
Under sub-section (4) of section 17 (whole-time Member)		
4.	Dr. Yogender Malik, Associate Professor, Department of Forensic Medicine and Toxicology, Bhagat Phool Singh, Government Medical College for Women, Khanpur Kalan,Sonepat.	Member
Under sub section (5) of section 17 (part-time Member)		
5.	Dr. Nishant Warwade, Madhya Pradesh Medical Council	Member.

6. The President and whole-time members of each Autonomous Boards referred to in paragraph 2 to 5, shall hold office for a term of four years and the part-time Members thereof shall hold office for a term of two years, respectively, with effect from 25th day of September, 2020.

[No.V.11013/01/2019-MEP (Pt.I)]

NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.